न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4440–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–9–2013 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 162/अपील/2010–11.

1– कालूराम पुत्र स्व. श्री छोटेराम
2– जमुना प्रसाद पुत्र स्व. श्री छोटेराम
निवासीगण ग्राम पुरा छिन्वाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– गणेश राम पुत्र स्व. श्री छोटेराम
2– सौहद्रीबाई पुत्री स्व. श्री छोटेराम पत्नी रमेश कुमार
निवासीगण ग्राम ग्राम पुरा छिन्वाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....मूल अनावेदकगण
3– राधाबाई पुत्री स्व. श्री छोटेराम
निवासी ग्राम ग्राम पुरा छिन्वाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....तरतीवी अनावेदिका

.....

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 कालूराम द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 109 (4) के अन्तर्गत

इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता स्व. श्री छोटेराम प्रजापति के नाम ग्राम तारासेवनिया स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 1/1 एवं 413/1/1/1 रकबा 8.82 एकड़ में से 6.82 एकड़ एवं सर्वे कमांक 1/2, 2, 413/1/2 में से रकबा 1.50 एकड़ एवं सर्वे नम्बर 4/1, 4/4/2 रकबा 7.67 एकड़ इस प्रकार कुल रकबा 15.99 एकड़ राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उनके द्वारा आवेदक कमांक 1 के पक्ष में दिनांक 19–12–2000 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है तथा भूमिस्वामी छोटेराम का दिनांक 28–12–2008 को स्वर्गवास हो चुका है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर स्व. छोटेराम के स्थान पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । उक्त आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 200/अ–6/08–09 दर्ज किया गया । इसी प्रकार आवेदक कमांक 2 जमुना प्रसाद द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम तारासेवनिया स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 1/1 एवं 413/1/1/1 रकबा 8.82 एकड़ में से 2.00 एकड़ एवं सर्वे कमांक 1/2, 2, 413/1/2 में से रकबा 3.00 एकड़ में से 1.50 एकड़ कुल 3.50 एकड़ के संबंध में दिनांक 19–10–2008 को पंजीकृत वसीयतनामा उसके पक्ष में निष्पादित किया गया है । अतः उपरोक्त भूमियों पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 184/अ–6/08–09 दर्ज किया गया और दोनों प्रकरणों को सम्मिलित कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 20–10–10 को आदेश पारित कर पंजीकृत वसीयतनामा कमांक 510 दिनांक 19–12–2008 एवं निष्पादित रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 5866 (क) दिनांक 31–3–2006 के आधार पर उपरोक्त सर्वे नम्बर की भूमियों में से 7.72 एकड़ पर आवेदक कमांक 1 कालूराम का एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा कमांक 511 दिनांक 19–12–2008 तथा पंजीकृत विकय पत्र कमांक 5866 (क) दिनांक 31–3–2006 के आधार पर उपरोक्त भूमियों में से 3.50 एकड़ भूमि पर आवेदक कमांक 2 जमुना प्रसाद का नामांतरण स्वीकृत किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–3–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 20–10–10 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय वसीयत के परीक्षण के संबंध में स्वतंत्र साक्षी एवं अन्य

सुसंगत साक्ष्य जो भी आवश्यक हों, प्राप्त करें एवं निष्पादन के समय की परिस्थितियां वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति नैसर्गिक नियमों का पूर्ण पालन करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों का विधिक एवं तकनीकी रूप से अवलोकन करें । यदि वसीयत संदेहास्पद पाई जाती है तो उत्तराधिकार के मार्ग को अपनाते हुए मृतक के वैध नैसर्गिक वारिसानों के पक्ष में फौती नामांतरण के आदेश पारित किये जायें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण सहित अनावेदिका कमांक 3 राधाबाई द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 7–9–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है, अतः प्रकरण में राजीनामा के अनुसार आदेश पारित किया जाये । यह भी कहा गया कि आवेदकगण के पिता के द्वारा उनके पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा एवं विक्रय पत्र निष्पादित किये गये हैं, जिनके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत एवं उचित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि नामांतरण में अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है कि यदि वसीयत संदिग्ध पाई जाती है तो वारिसानों का नामांतरण किया जाये, तहसील न्यायालय द्वारा विस्तार से साक्ष्यों की विवेचना करते हुए वसीयतनामा संदेह से परे पाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 व 3 को दूसरे ग्राम की भूमि मिल गई है, जिसे बहनों ने राजीनामा में स्वीकार किया है और वे अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं । उनके द्वारा राजीनामा के आधार पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप यह कहा गया कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाये और उभय पक्ष के मध्य जो राजीनामा हुआ है, उससे वे सहमत हैं ।

5/ उपय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका क्र.3 राधाबाई को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 2 का नाम विलोपित करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उस पर भी उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तहसीलदार द्वारा वसीयत प्रमाणित करने में वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षियों के कथनों का अवलोकन नहीं किया गया है क्योंकि साक्षी नेतराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि उसके द्वारा वकील साहब के कहने पर हस्ताक्षर किये गये हैं और उसे जानकारी नहीं है कि वसीयतकर्ता मृतक छोटेराम हस्ताक्षर करते थे या अँगूठा लगाते थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य नहीं लेकर केवल आवेदकगण के पडोसी केवलराम के साक्ष्य लिये गये हैं । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता भूमिस्वामी 100 वर्ष के थे और तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी के अन्य वारिसानों को उनके हक से वंचित किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे वसीयतनामा निष्पादन की परिस्थितियों पर विचार कर वसीयत का पूर्ण परीक्षण कर विधिवत साक्ष्य लेते हुये वसीयतनामा को संदेह से परे सिद्ध करते, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपने विधिक कर्त्तव्यों का उपयोग नहीं करने से उनके द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि स्वत्व के संबंध में वसीयतनामे जैसे पेचीदा एवं उलझे मामले को व्यवहार न्यायालय पर छोड़ देना चाहिये । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि तहसीलदार वसीयत के परीक्षण के संबंध में स्वतंत्र साक्षी एवं अन्य सुसंगत साक्ष्य जो भी आवश्यक हो, प्राप्त करें एवं निष्पादन के समय की परिस्थितियॉ वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति नैसर्गिक नियमों का पूर्ण पालन करते हुये प्रस्तुत साक्ष्यों का विधिक व तकनीकी रूप से अवलोकन करें यदि वसीयत संदेहास्पद पाई जाती है तो उत्तराधिकार के मार्ग को अपनाते हुये मृतक के वैध नैसर्गिक वारिसानों के पक्ष में फौती नामान्तरण करें । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा

किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–09–2013 स्थिर रखा जाता हे । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर